उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–1958/71–1–13–जी–32/2007
लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति के निमित्त लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या–70(।।)/5/एस–8/2007–2008, दिनॉक 30.07.2013 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपल महोदय डा0 निर्मल चन्द्र प्रजापति को वेतनमान रू0 37400–67000, वेतन बैण्ड रू0 10000/– में प्रधानाचार्य के पद पर मेडिकल कालेज, जालौन में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) समय–समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।
(2) एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
(4) उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होंगा।
(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम–18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
(6) यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

:– कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र (संलग्न प्रारूप में)।
(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथपत्र (संलग्न प्रारूप में)।
(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण–पत्र।
(4) गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।
(5) चल तथा अचल संपत्ति का प्रमाण–पत्र।
(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण–पत्र।

J.O-1

3– यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डा0 निर्मल कुमार प्रजापति की उक्त नियुक्ति/तैनाती प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यो के पद पर चयन के विरूद्ध वर्तमान में योजित विभिन्न मुकदमों/वादों तथा प्रश्नगत नियुक्ति के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं में पारित अन्तिम आदेशों के अधीन रहेगी तथा कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

जे0 पी0 शर्मा
प्रमुख सचिव

संख्या– **1958(1)/71–1–13, तद्‌दिनॉक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर डाल दे।
4. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा/जालौन
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7 वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा/जालौन।
8. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव